प्र.सं. 8/2019.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनवान हीरखां VS राजसरकार	
13/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्षकरान की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया की वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी व उसके पूर्वजो का वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के टांका, छाणी पशुओ के बाडे इत्यादि बने हुए है। इस संबंध मे प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खातेदारी घोषणा का वाद दायर कर रखा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी पक्ष मे बनने के कारण तादाया फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी के फरमाई जावे। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने अपनी बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि मे कभी भी निरन्तर कब्जा काश्त रहा नही रहा है और न ही वर्तमान में कब्जा एवं काश्त है। प्रार्थी ने कब्जे के बारे मे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। प्रार्थी अतिक्रमी है प्रार्थी ने जब कभी भी कब्जा किया तब मौके से बेदखल कर दिया गया। प्रार्थी सरकारी भूमि को हड़पना की नीयत से सरासर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया जाना राजहित में नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 161 मौजार रोला है जबकि साक्ष्य में पेश दस्तावेज खसंरा नंबर 162 मौजा रोला पटवार मण्डल बारू दर्शाया गया है। पैरोकार सरकार ने राजकीय भूमि पर स्थगन दिये जाने हेतु पुरजोर विरोध किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनाना नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (राजलक्ष्मी गहलोत) सहायक कलक्टर बाप (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner